प्रेषक,

राजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ, दिनांक : दिसम्बर, 2025

विषय– ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मित जीर्ण–शीर्ण/जर्जर, जोखिमपूर्ण पंचायत भवनों/अन्य सार्वजनिक भवनों के ध्वस्तीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–I/305167/2025 दिनांक 09.10.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपद–बस्ती के पत्र दिनांक 19.08.2025 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के क्रम में जनपद–बस्ती की ग्राम पंचायत–दुबौलिया, दैजी एवं जगन्नाथपुर में जीर्ण–शीर्ण/जर्जर, जोखिमपूर्ण पंचायत भवनों/अन्य सार्वजनिक भवनों के ध्वस्तीकरण किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया निम्नलिखित बिन्दुओं के संबंध में आख्या/सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें:–

(1) शासनादेश संख्या–22/33–3–2022–2401/2021 दिनांक 08.01.2022 के बिन्दु (iv) (ग) के अनुसार प्रस्ताव में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि उक्त भवनों के ध्वस्तीकरण हेतु प्रस्तावित पंचायत भवन की आयु पूर्ण हो गयी है अथवा नहीं।

(2) उक्त भवनों की बुक वैल्यू तो अंकित की गयी है परन्तु कम्प्यूटेड वैल्यू का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः प्रस्तावित पंचायत भवन की कम्प्यूटेड वैल्यू भी उपलब्ध करायी जाय।

(3) प्रस्ताव में शासनादेश के बिन्दु (vi) के अनुसार ध्वस्तीकरण के उपरान्त मलबे का पुर्नउपयोग ग्राम पंचायत करेगी अथवा नीलाम किया जायेगा । इसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा लिया गये निर्णय की प्रति।

Digitally signed by
Rajesh Kumar Tyagi
Date: 30-12-2025
18:56:27

भवदीय,

(राजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।